भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2536

(दिनांक 19.12.2023 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी बाजार

2536. श्री डी.के. सुरेशः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते ओवर-द-टॉप (ओटीटी) बाजार के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ओटीटी सेवा प्रदाताओं और डिजिटल विषय-वस्तु प्रदाताओं को विनियमित करने के लिए कोई नए विनियम लागू किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का ओटीटी संबंधी कोई विनियमन लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): इंटरनेट की कम कीमतों के साथ-साथ इंटरनेट अवसंरचना को तेजी से अपनाने और इसके विस्तार के कारण हाल के वर्षों में भारत में ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों और उनकी दर्शकसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

(ग) से (च): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्मों) के प्रकाशकों के लिए नियमों में निर्धारित आचार संहिता का पालन करने का प्रावधान है।

इन नियमों में प्रकाशकों (ओटीटी प्लेटफार्मों) द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

*****